बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक ..../ पटना, दिनांक...............................

संoसo–03 / उoनिo / प्रशिक्षण–02–31 / 2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा राज्य के 2000 (दो हजार) बेरोजगार युवकों / युवतियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) का प्रशिक्षण देने हेतु सहायक अनुदान मद में कुल अनुमानित व्यय ₹50,00,000.00 (पचास लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा राज्य के 2000 (दो हजार) बेरोजगार युवकों / युवतियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम **(EDP)** का प्रशिक्षण देने हेतु सहायक अनुदान मद में कुल अनुमानित व्यय ₹50,00,000.00 (पचास लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है।

(2) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवको / युवतियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्योग स्थापना हेतु Motivate करने, DPR तैयार करने, Marketing, Branding, Packaging आदि का प्रशिक्षण दिया जाना है।

(3) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय उद्यमिता विकास संस्थान, पटना के पत्र सं0–456 दिनांक– 29.11.2018 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप किया जाएगा।

(4) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वीकृत राशि का व्यय वहन निम्न तालिका में वर्णित कोटि के प्रशिक्षणार्थियो पर किया जाएगा।

(5) राशि का व्यय वहन निम्नरूपेण किया जाएगा :–

क्र0स0	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि
i.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष 0135–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852801020135, के विषय शीर्ष–0135.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	₹33,00,000.00
ii.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0102– इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852807890102, के विषय शीर्ष–0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹15,00,000.00
iii.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोगता उद्योग, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 0101–आर्थिक सहायता, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852087960101 के विषय शीर्ष–0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹2,00,000.00
	कुल राशि :–	₹50,00,000.00

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

(6) प्रशिक्षणोंपरान्त संस्थान द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उद्योग निदेशक, बिहार पटना को उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग निदेशक द्वारा जाँचोंपरान्त प्रतिवेदन महालेखाकार, पटना को प्रेषित किया जाएगा।
(7) स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, पटना होगें, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी BTC प... 46 पर कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के पी0एल0 खाता नं0–P.L.-277 में उपलब्ध करायेगें।
(8) उद्योग मित्र में रक्षित राशि को समय–समय पर उद्योग निदेशक द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
(9) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगें।
(10) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेगें।
(11) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका सं0 –03/उ0नि0/प्रशिक्षण–04–31/2018 के पृष्ठ 04/टि0 पर दिनांक–19.12.2018 को प्राप्त है जिसका गै0स0प्रे0सं0–3260/IDC दिनांक–19.12.2018 हैं।
(12) राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–03/उ0नि0/प्रशिक्षण-04 –31/2018के पृष्ठ06/टि0 पर दिनांक 27/12/18को प्राप्त है। जिसका डायरी सं0–65 दिनांक ... है।
(13) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 की कंडिका– 2 एवं 15 एवं पत्रांक–2938 वि0 (2) दिनांक -0...4.0... के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(14) वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि(2) दि0–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के ... में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4782 / पटना, दिनांक 28/12/2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/आय–व्यय पदाधिकारी/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र,इंदिरा भवन, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग विभाग बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 (स0), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को एवं प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:\drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order\2015-16...219